रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 593] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 2015/आश्विन 2, 1937
No. 593] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 2015/ASVINA 2, 1937

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2015

सा.का.नि. 737(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के साथ पठित धारा 88, 89, 91, 92, 93, 94, 101, 105, 108, 109, 110, 115, 117, 118, 119, 120 और 121 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) दूसरा संशोधन नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 में, प्ररूप संख्या एमजीटी-7 के पैरा-I में क्रम संख्या (i) में, "कंपनी की वैश्विक स्थिति संख्या (जीएलएन)" के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"*कंपनी की स्थायी खाता संख्या (पैन)"

[फा. सं. 01/34/2013-सीएल.V-भाग-I]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पणः- मूल अधिसूचना को सा.का.नि. 260(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, जिसे सा.का.नि 415(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा संशोधित किया गया और तत्पश्चात् सा.का.नि 537(अ) तारीख 24.07.2014 द्वारा संशोधित किया गया और सा.का.नि. 669(अ) तारीख 28.08.2015 द्वारा इसमें अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2015

G.S.R. 737(E).—In exercise of the powers conferred by sections 88, 89, 91, 92, 93, 94, 101, 105, 108, 109, 110, 115, 117, 118, 119, 120 and 121 read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, namely:—

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Companies (Management and Administration) Second Amendment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, in Form No. MGT-7, in paragraph I, under serial number (i), after ''Global Location Number (GLN) of the Company'', the following shall be inserted, namely:-

"*Permanent Account Number (PAN) of the Company | | "

IndiaCode

[F. No. 01/34/2013-CL-V- Part-I]

AMARDEEP S. BHATIA, Jt. Secy.

Note:—The principal notification was published in the Gazette of India, *vide* No. G.S.R. 260(E), dated the 31st March, 2014, subsequently amended *vide* No. G.S.R. 415(E), dated the 23rd June, 2014, vide No. G.S.R. 537(E) dated 24.07.2014 and lastly amended vide No. G.S.R. 669(E) dated 28.08.2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.